



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 25.06.2026

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा 01 नामित/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 01 अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2026 धारा 126(2),115(2),352,351(3) बीएनएस का 01 नामित/वांछित अभियुक्त अजय कुमार उपाध्याय उर्फ अजय प्रेमी उर्फ रिकू पुत्र प्रेमचन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम कल्याण शाह का पुरा थाना करछना जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-25.06.2026 को थाना क्षेत्र करछना से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.2026 को वादी मुकदमा मो0 आसिफ पुत्र मो0 सोनू निवासी ग्राम खाई, कल्याण शाह का पूरा, थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत मुझ वादी को रास्ते में रोक कर गांव के विपक्षीगण द्वारा दिनांक-23.06.2026 को शाम 5 बजे पकड़ कर मारा पीटा तथा भद्दी-भद्दी गालिया दिया। जिसकी शिकायत उनके घर पर किया तो उक्त तीनों लोग लाठी-डण्डा लेकर मेरे घर पर चढ़ आये और मारने पीटने लगे, इतने में अजय कुमार उपाध्याय उर्फ प्रेमी ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर लहराते हुए जान से

मारने की धमकी दी गयी, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 195/2026 धारा 126(2),115(2),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत कर थाना करछना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त अजय कुमार उपाध्याय उर्फ अजय प्रेमी उर्फ रिकू उपरोक्त को 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधि0 की बढोतरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त अजय कुमार उपाध्याय उर्फ अजय प्रेमी उर्फ रिकू उपरोक्त ने बताया कि मेरे गाँव के मोहम्मद सोनू से मेरा जमीन का पुराना विवाद है। घटना के दिन बच्चों बच्चों के झगड़ो को लेकर मैं तथा मेरे परिवार के लोग मो0 सोनू के दरवाजे पर गये थे, जहाँ पर कहा सुनी होने लगी गुस्से में मो0 सोनू के परिवार के तरफ पिस्टल तान दिया था और मो0 सोनू के परिवार के लोग विडियो बनाने लगे व पुलिस के आने की सूचना पर मैं पिस्टल को छिपाकर भाग गया था। मेरे पास से जो पिस्टल बरामद हुआ है यह वही पिस्टल है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार उपाध्याय उर्फ अजय प्रेमी उर्फ रिकू पुत्र अजय उपाध्याय निवासी ग्राम कल्याण शाह का पुरा थाना करछना जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 40 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 195/2026 धारा 126(2),115(2),352,351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना करछना कमि0 प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० अभिलाष कुमार, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
2. उ०नि० विकास सिंह, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
3. हे०का० विजय यादव, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
4. हे०का० प्रदीप कुमार, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
5. का० विक्रम सिंह, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
6. का० शैलेन्द्र कुमार साह, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।
7. का० आकाश कुमार, थाना करछना कमि० प्रयागराज ।